प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.12.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 बाल अपचारी अभिरक्षा में।

दिनांक 25.11.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि 02 लड़कों द्वारा वादी के पुत्र पर जान से मारने की नीयत से कुल्हाडी से हमला करना जिससे उसके गम्भीर चोटें आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही करने हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.12.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले 02 बाल अपचारियों को रुपनगर चौकी क्षेत्र बंथला फ्लाई ओवर के पास से अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

बाल अपचारियों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि वादी का पुत्र और हम लोग एक दूसरे के पडोसी हैं। दिनांक 25.11.2024 को हमने मजाक में वादी के पुत्र को अपशब्द बोल दिया था इसी बात को लेकर हम लोगों में झगडा हो गया जिसमें हमने वादी के पुत्र की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था जिससे वह मौके पर ही जमीन पर गिरकर बेहोश होकर गिर गया। हम लोग उसे मरा समझ कर वहां से भाग गये थे।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारियों के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभिरक्षा में लेने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ 19 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 09.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग/गस्त के दौरान अभियुक्त शाहिद पुत्र फसी अहमद निवासी यस बैंक के पास स्कूल ब्लाक शकरपुर पूर्वी दिल्ली, हाल पता विकास विहार गौरव मार्केट रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष व अभियुक्ता आफरीन पुत्री असगर निवासी विकास विहार गौरव मार्केट रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को गढी कटैया कट चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 19 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त व अभियुक्ता के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर NDPS ACT के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त शाहिद ने बताया कि आफरीन मेरे मामा असगर की लड़की है जो रिश्ते में मेरी ममेरी बहन लगती है मेरी मामी नौशाद वानो उर्फ असगरी व मेरे मामा असगर मुझसे गांजा आर्डर पर मगांते थे। मैं आन्ध्र प्रदेश से ट्रकों के माध्यम से गांजा लाकर अपने मामा असगर व मामी नौशाद वानो उर्फ असगरी को इनके घर पर देता था। मामा व मामी मुझे गांजा के बदले में रुपये देते थे जिससे मैं अपने शौक पूरे करता था। मेरे मामा असगर, मामी नौशाद वानो उर्फ असगरी व ममेरी बहन आफरीन व दूसरी ममेरी बहन परवीन जो शादी शुदा हैं सब मिलकर इस गांजा में से थोड़ा-थोड़ा निकालकर अलग-अलग छोटी-छोटी पालीथिन में पैक करके चोरी छुपे राह चलते व्यक्तियों को घुम फिरकर बेच देते हैं। हम लोग गांजा को बेचने जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता -

1. शाहिद पुत्र फसी अहमद निवासी यस बैंक के पास स्कूल ब्लाक शकरपुर पूर्वी दिल्ली, हाल पता विकास विहार गौरव मार्केट रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।
2. आफरीन पुत्री असगर निवासी विकास विहार गौरव मार्केट रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

मादक पदार्थ 19 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त शाहिद के विरुद्ध थाना क्राईम ब्रांच दिल्ली व थाना नरेला दिल्ली पर NDPS ACT व लूट के संबंध में कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.12.2024 को वादी श्री कृष्णा त्यागी पुत्र आदेश त्यागी निवासी एफ 161 शास्त्रीनगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद के मोबाईल नम्बर पर एक अन्य मोबाईल नम्बर से वादी को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई। उक्त तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यवाही का विवरणः-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया। सर्विलांस टीम की मदद से मोबाईल नम्बर की पहचान अमजद खान उर्फ बाबा पुत्र शहजाद खाँ निवासी ललित कालोनी जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश उम्र 40 वर्ष के रुप में हुयी जिसे त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता-

अमजद खान उर्फ बाबा पुत्र शहजाद खाँ निवासी ललित कालोनी जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश उम्र 40 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाले टीमः</u>

थाना कविनगर पुलिस टीम ।